

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- एस०पी०एम०य००/ एन०एच०एम०/ एम० एण्ड ई०/ 2019-20/ 6916-75 दिनांक: 13-11-19
विषय:- माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 14
अक्टूबर 2019 को सम्पन्न राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/ महोदया,

माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक कक्ष संख्या-111, योजना भवन, लखनऊ में आयोजित की गई। बैठक का अनुभोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए 07 कार्यदिवसों में अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: अनुभोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक
तददिनांक:

पत्रांक:- एस०पी०एम०य००/ एन०एच०एम०/ एम० एण्ड ई०/ 2019-20/ 23/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, य०पी०एम०एस०सी०एल०, लखनऊ।
10. निदेशक, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
11. अधिशासी निदेशक, य०पी०टी०एस०य००, लखनऊ।
12. अपर अधिशासी निदेशक, सिफसा।
13. समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
15. वरिष्ठ सलग्हकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
16. वित्त नियन्त्रक, समस्त महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक एवं अधिशासी अभियन्ता, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. समस्त मण्डलीय/ जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम०एण्डई०

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 14 अक्टूबर 2019 का कार्यवृत्त

माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक कक्ष संख्या-111, योजना भवन, लखनऊ में आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर से माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक, परिवार कल्याण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांची, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एम०एस०सी०एल०, निदेशक, प्रशासन, अपर मिशन निदेशक (एस० एवं जे०), वरिष्ठ सलाहकार, वित्त नियंत्रक एवं महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, महानिदेशालय के राज्य कार्यक्रम अधिकारियों तथा जनपदों से मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री गणों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रमुख सचिव द्वारा एजेण्डावार समीक्षा प्रारम्भ की गयी। समीक्षा बैठक में हुई चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश निम्नवत हैं :—

आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) —

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांची द्वारा कार्यक्रम की प्रगति के विषय में प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारियों से अधिक से अधिक गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की अपेक्षा की गयी, उनके द्वारा गोल्डेन कार्ड बनाये जाने में सबसे पिछड़े निम्न 10 जनपदों के कार्य कलाप के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। सबसे पिछड़े 10 निम्न जनपदों की गहन समीक्षा की गयी जनपदवार लक्षित लाभार्थी के सापेक्ष बनवाये गये गोल्डेन कार्ड एवं ऐसे ग्रामों की संख्या जिनमें अभी तक एक भी गोल्डेन कार्ड नहीं बनवाया गया है का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :—

S.No.	District	Total Families Covered	Total E-cards Made upto 08-10-2019	% of families where atleast 1 Golden card is issued to any 1 member of the family
1	CHITRAKOOT	78,868	17,899	11.7%
2	GB NAGAR	35,955	20,711	18.3%
3	HAMIRPUR	86,296	21,097	10.9%
4	ETAH	94,336	23,704	10.2%
5	HAPUR	33,569	33,133	35.8%
6	AMROHA	54,512	33,731	23.2%
7	BANDA	138,516	34,475	10.8%
8	SANT KABEER NAGAR	105,569	34,487	17.9%
9	BAGHPAT	45,043	34,558	26.3%
10	MAHOBA	65,868	34,578	20.2%

2. अवगत कराया गया कि बहुत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अभी तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जनपद सुल्तानपुर, बलिया, बदायूं, हाथरस, एटा, रामपुर एवं भदोही में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभी तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया है। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने जनपद के ऐसे सामुदायिक केन्द्रों, जो अभी तक योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु डिस्ट्रिक्ट ईमैनलमेन्ट कमेटी से अनुमोदन कराते हुए प्रकरण स्टेट ईमैनलमेन्ट कमेटी को एक सप्ताह में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों को आबद्ध करने का प्रस्ताव देते समय अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों के सापेक्ष स्पेशलिटी का चयन किया जाये।

- निर्देशित किया गया कि योजना के क्रियान्वयन में चुनाव आचार संहिता के कारण किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिये। 588 गांवों में एक भी गोल्डेन कार्ड न बनाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार गोल्डेन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
- योजना के अन्तर्गत अक्रियाशील कॉमन सर्विस सेण्टर को एक सप्ताह में क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित करें। आयुष्मान मित्र की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें, जब तक नियुक्ति न हो पाये तब तक किसी अन्य कर्मचारी को आयुष्मान मित्र के रूप में नामित करने का कष्ट करें।

हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर-

- अवगत कराया गया कि कुछ जनपदों में हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के निर्माण का कार्य लम्बित है या प्रक्रिया की गति बहुत धीमी है। साथ ही साथ एच0डब्ल्यू0सी0 के ब्रांडिंग का कार्य भी बहुत धीमा है। निर्देशित किया गया कि हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के निर्माण एवं ब्रांडिंग के कार्य को दिशा-निर्देशानुसार पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

Bottom 10 districts in Construction and Branding

Construction					Branding				
S. No	Districts	Target- SC	# of HWC- SC where Construction started	% of HWC-SC	S. No	District	# of HWC target PHC+SC	# of HWC with branding PHC+SC	%of HWC
1	Kannauj	20	0	0%	1	Chandauli	81	5	6%
2	Azamgarh	30	1	3%	2	Jaunpur	51	7	14%
3	Ayodhya	30	4	13%	3	Sambhal	50	5	10%
4	Hardoi	30	5	17%	4	Ambedkar nagar	49	19	39%
5	Ballia	30	6	20%	5	Amroha	34	14	41%
6	Deoria	30	6	20%	6	Ballia	50	20	40%
7	Kushinagar	30	6	20%	7	Banda	50	20	40%
8	Etawah	20	4	20%	8	Barabanki	50	20	40%
9	Gonda	30	7	23%	9	Bijnour	52	22	42%
10	Lucknow	30	10	33%	10	Badaun	51	21	41%

Kanpur Dehat/nagar, Sonbhadra, Blundsahar, Hathras, Kasganj, Chitrakoot, St. Ravidas Nagar and : HWC-SC branding has not been initiated.

- पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया गया कि एच0डब्ल्यू0सी0 के निर्माण कार्य गुणवत्तापरक नहीं हैं। निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर पर निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें तथा आवश्यक कार्यवाही भी करें। साथ ही जनपदों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की ब्रांडिंग से सम्बन्धित दिशा-निर्देश पुनः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- अवगत कराया गया कि जनपद बलिया, मुरादाबाद, कानपुर देहात एवं पीलीभीत में अभी तक सी-बैक फार्म प्रिण्ट नहीं हुए हैं। निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपद शीघ्रातिशीघ्र सी-बैक फार्म प्रिण्ट करवाना तथा उनकी उपलब्धता संबंधित इकाईयों पर सुनिश्चित करें।
- सभी क्रियाशील हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर द्वारा नियमित रूप से डेली रिपोर्टिंग पोर्टल पर किया जाना है। जनपद-गोण्डा, मिर्जापुर, मैनपुरी, बांदा, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, हरदोई, चन्दौली एवं सोनभद्र की रिपोर्टिंग 60 प्रतिशत से कम है। निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की दैनिक रिपोर्ट सम्पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Bottom 10 districts in CBAC printing and entry on NCD portal

Status CBAC Form Printing

S.No	District	Remarks
1	Kanpur Dehat	Tender is in process
2	Ballia	Tender is in process
3	Moradabad	Order placed at GEM Portal
4	Pilibhit	Re-tender , sample cancelled

District with zero enrollment on NCD portal

S. No	District	S. No	District
1	Chandauli	7	Kanpur Dehat
2	Ballia	8	Banda
3	Shahjahanpur	9	Kannauj
4	Amroha	10	Balrampur
5	Jaunpur	11	Basti
6	Etawah	12	Deoria

9. अवगत कराया गया कि एन०सी०डी० ऐप पर जनपद चन्दौली, बलिया, शाहजहांपुर, अमरोहा, जौनपुर, इटावा, कानपुर देहात, बांदा, कन्नौज, बलरामपुर, बस्ती एवं देवरिया के द्वारा एक भी पंजीकरण नहीं किया गया है। समस्त जनपदों को एन०सी०डी० ऐप पर समस्य सूचना फीड करने हेतु निर्देशित किया गया।

वेक्टर बार्न डिजीज-

डेंगू-

10. सभी जनपदों में डेंगू रोग के प्रचार प्रसार को रोकने हेतु सभी आवश्यक उपाय अपनाए जाएं, इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तत्काल अपने जनपदों के जिलाधिकारियों से वार्ता कर अंतर विभागीय गतिविधियों को माह अक्टूबर के अंत तक सघन रूप से जारी रखें। सभी जनपदों में नगर विकास तथा ग्राम विकास को जलभराव रोकने तथा मच्छर नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही सघन रूप से की जाए।
11. चिकित्सालयों में डेंगू रोग के उपचार एवं जांच की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से की जाए।
12. जनपद आगरा, बांदा, शाहजहांपुर एवं मऊ के जिला चिकित्सालय में स्थापित एसएसएच प्रयोगशालाओं से डेंगू टेस्टिंग की रिपोर्ट शून्य प्राप्त हुई है। संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवगत कराएं कि क्या वास्तव में प्रयोगशाला में जांच ही नहीं हुई है अथवा रिपोर्ट भेजने में कोई त्रुटि हुई है ?
13. प्रकाश में आया है कि निजी चिकित्सालयों के द्वारा डेंगू के मरीजों को अधिक दर पर ब्लड प्लेटलेट्स उपलब्ध करायी जाती हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे चिकित्सालयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

दिमागी बुखार एवं जापानीज इन्सेफेलाइटिस-

14. जनपद हरदोई, बहराइच, बाराबंकी एवं बलरामपुर में दिमागी बुखार के मरीजों की मृत्यु दर राज्य औसत से अधिक है, इन जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय चिकित्सालय में सभी चिकित्सा सुविधाओं को सुदृश्य करें साथ ही उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के विषय में जनमानस को अवगत कराने हेतु भी सभी आवश्यक उपाय करें ताकि मरीजों को पता चल सके कि दिमागी बुखार का उपचार उनके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ही उपलब्ध है और वेद दूरस्थ केंद्रों पर उपचार के उपचार हेतु ना जाएं।
15. जनपद महाराजगंज, बहराइच, बस्ती, बरेली, संत कबीर नगर, सीतापुर एवं अंबेडकरनगर में दिमागी बुखार के कुल मरीजों में जापानीज इन्सेफेलाइटिस के रोगियों का प्रतिशत राज्य औसत से अधिक पाया गया। इस संदर्भ में उपरोक्त सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया

[Signature]

गया कि वह अपने जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जापानीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण के आच्छादन की स्थिति की समीक्षा करें तथा जिन क्षेत्रों में जापानीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण आच्छादन कम है वहाँ कार्ययोजना बनाकर इस आच्छादन को पूर्ण किया जाए।

16. दिमागी बुखार से प्रभावित 18 जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि 1 से 15 वर्ष के सभी बुखार रोगियों को डॉक्सीसाइविलन अथवा अजिथ्रोमायसिन से अवश्य उपचारित किया जाए।

मलेरिया

17. जनपद हापुड़, शामली, बागपत, चंदौली, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बलरामपुर एवं कौशांबी में ब्लड स्लाइड एंजामिनेशन अपेक्षा से काफी कम हुए हैं। इन जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बुखार की सभी रोगियों की अनिवार्य रूप से मलेरिया की जांच कराई जाए साथ ही आशा एवं एएनएम का भी प्रशिक्षण ब्लड स्लाइड बनाने हेतु कराया जाए।
18. सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उपकेन्द्रवार मलेरिया की रिपोर्ट तत्काल (आगामी 3 दिवस के अंदर) राज्य मुख्यालय पर प्रेषित की जाए।

फाइलेरिया

19. जनपद प्रयागराज, सुल्तानपुर, सीतापुर, हरदोई एवं लखनऊ में मास झग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में "मिस्ड एरिया" पाए गए। इन सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अभियान को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए।
20. आगामी 25 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहे मास झग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान में इस चरण में आच्छादित सभी 19 जनपदों में यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य योजना सही प्रकार से बनी है तथा कार्यकर्ता वास्तविक रूप से अपने सामने औषधियों का सेवन जनता को करा रहे हैं।

H1 N1 इनफ्लुएंजा

21. मानसून के विलंब तक जारी रहने के कारण H1 N1 इनफ्लुएंजा के मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जांच एवं उपचार हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं एवं औषधीयाँ जनपदों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
22. सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अवगत कराया गया कि इस हेतु प्रति जनपद ₹100000 की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

आई०डी०एस०पी०


23. सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अवगत कराया गया कि आई०डी०एस०पी० की रिपोर्ट नीति आयोग के सूचकांकों में शामिल है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने जनपदों में यह सुनिश्चित करें कि सभी रिपोर्टिंग यूनिट्स की फॉर्म पी, एल एवं एस की रिपोर्ट वर्ष 2018 एवं 2019 के लिए 90% से अधिक होनी चाहिए।
24. 21 जनपदों में आई० एच० आई० पी० पोर्टल पर रिपोर्टिंग प्रारंभ की गई है, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के डिजिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है अतः इसे प्राथमिकता के आधार पर सुचारू किया जाए। इन सभी जनपदों में तत्काल ब्लॉक स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए ताकि एच० आई० पी० पोर्टल पर सुचारू रूप से डेटा एंट्री का कार्य किया जा सके।

स्वास्थ्य भेला का आयोजन—

25. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में प्रत्येक ब्लाक पर एक स्वास्थ्य कैम्प के आयोजन हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 14,562 स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया है, जिसमें 22,33,603 रोगियों का उपचार किया गया है। निर्देशित किया गया कि दिशा—निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन करना सुनिश्चित करें, जिससे आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें।
26. अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य कैम्प के अतिरिक्त प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के आधार पर एक स्वास्थ्य भेला का आयोजन किये जाने के सन्दर्भ में दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित माननीय सांसद से समन्वय स्थापित करते हुये स्वास्थ्य भेले का आयोजन करना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना भी ससमय महानिदेशालय को उपलब्ध करायें।

नियमित टीकाकरण—

27. एच०एम०आई०एस० डाटा के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षण में सबसे कम उपलब्ध वाले जनपद यथा—रायबरेली, कानपुर देहात, झाँसी, जालौन, सुल्तानपुर, हमीरपुर, बलिया, बुलन्दशहर, हरदोई एवं कासगंज को निर्देशित किया गया कि विशेष सत्रों का आयोजन करते हुये शत—प्रतिशत पूर्ण प्रतिरक्षण करवाना सुनिश्चित करें।



28. नियमित टीकाकरण के अंतर्गत ड्यू लिस्ट को अद्यतन करना, बुलावा पर्ची का प्रयोग एवं इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग बुकलेट का शत—प्रतिशत प्रयोग करना सुनिश्चित करें। जिससे प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त किया जा सके।
29. 26 जनपदों द्वारा मोबाइल इम्यूनाइजेशन वैन को अनुबन्धित नहीं किया गया है। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मोबाइल इम्यूनाइजेशन वैन को दिशा—निर्देशों के अनुसार अनुबन्धित करना सुनिश्चित करें। इसके अन्तर्गत अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहन का प्रयोग किया जा सकता है।
30. जनपद आगरा के 16, मथुरा के 9, प्रयागराज एवं बहराइच के 8, अमरी एवं गोणडा के 06, बलिया के 5, जौनपुर एवं मिर्जापुर के 04 तथा अलीगढ़, बरेली एवं लखनऊ के 03-03 ब्लॉक में 70 प्रतिशत से कम पूर्ण टीकाकरण पाया गया है। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूर्ण टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें।

Low Performing Districts with maximum No. of Blocks < 70% Fully Immunization(RI monitoring data 2018-19)			
S N	Districts	No. of Blocks /PU	Planning Unit/Block
1	Agra	16	BAH, BICHPURI, ETMADPUR, FATEHABAD, HP WEST, JAIPUR KALAN, JAMUNAPAR, KHANDAULI, LADY LOYAL, LOHAMANDI -I, NARAICH, PINAHAT, R SOUTH , SHAHGANJ -I, SNMC, TAJGANJ
2	Mathura	9	BALDEO, CHAUMUHAN, CHHATA, FARAH, MANT, MATHURA URBAN, NAUJHEEL, RAYA, VRINDAVAN
3	Allahabad	8	GAUSH NAGAR, HANDIA, KARELI, KORAON, MEJA, PHULPUR, PRATAPPUR, RAJROOP PUR
4	Brahmauli	8	CHARDA , CHIRAIYA TAND, CHITTAURA, FAKHARPUR, MIHINPURWA, RISIA, SALARGANI, SHIVPUR
5	Amethi	6	FURSATGANJ, GAURIGANJ, JAGDISHPUR, JAMON, SINGHPUR, TILOI
6	Gonda	6	BELSAR, KATRA BAZAR, MANKAPUR, PARASPUR, QUAZIDEWAR, TARABGANJ
7	Ballia	5	BALLIA URBAN, BANSIDIH, GARWAR, HANUMANGANJ, MURLI CHHAPRA
8	Jaunpur	4	JAUNPUR URBAN, KARANJKALA, KHUTHAN, SHAHGANJ
9	Mirzapur	4	HALLIA , KACHAWA, SEEKHAR, VIJAYPUR
10	Alligarh	3	CHHARRA, GHANTER CHAWK, SHAHAMAL SECTOR,
11	Bareilly	3	FARIDPUR, KUANDANDA, SHERGARH
12	Lucknow	3	ALIGANJ , UFWC SADAT GANJ, UFWC SEVA SADAN,

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना—

31. अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के समस्त 75 जिलों में चलाई जा रही है। योजना के तहत लगभग 21,09,000 प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया है। इस योजना में लगभग 90 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है। लक्ष्य के सापेक्ष 65 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले जिलों (कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा एवं गोरखपुर) को अक्टूबर माह के अन्त तक शेष लक्ष्य की 100 प्रतिशत पूर्ति हेतु आदेशित किया गया।

Performance : Target v/s Achievement
(till 9th October, 2019)

Best 5 Districts					Worst 5 Districts				
District	Target	Enrollment	Remaining Target	% Ach.	District	Target	Enrollment	Remaining Target	% Ach.
Maharajganj	37677	41130	0	109.16	Kanpur Nagar	64294	35540	28754	55.28
Lalitpur	17144	18342	0	106.99	Lucknow	64414	37355	27059	57.99
Sultanpur	33278	33596	0	100.95	Prayagraj	83564	49703	33861	59.48
Mehoba	12293	11563	730	94.06	Agra	62013	39192	22821	63.20
Shrawasti	15681	14742	939	94.01	Gorakhpur	62324	39747	22577	63.78

32. जनपद गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, बरेली एवं जौनपुर के सभी संकेतकों में कम उपलब्धि है, जिसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन जिलों में लाभार्थियों को द्वितीय किश्त, तृतीय किश्त एवं जननी सुरक्षा योजना में लाभ नहीं मिल पाया है एवं लम्बित हैं। प्रमुख सविव, विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा उन आशाओं पर भी कार्यवाही करने की बात की गई जिन्होंने अभी तक एक भी पात्र दम्पत्ति को इस योजना के तहत लाभ नहीं पहुंचाया है।

33. बैठक में जिन जनपदों में पी0एम0एम0वी0वाई0 से सम्बन्धित नियुक्ति नहीं की गई है, हेतु भी रोष व्यक्त किया गया। अन्य बिन्दु जैसे क्यू0 आर0 कोड-रीडर का क्य, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि एवं उनके प्रशिक्षण, सघन आई0ई0सी0 गतिविधियों पर भी जोर दिया गया एवं शेष पात्र लाभार्थियों को मिशन मोड में चिन्हित कर लाभ पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया।

[Signature]

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम—

34. अवगत कराया गया कि कुछ जिला स्तरीय एफ0आर0य० पर भी सी—सेक्शन नहीं सम्पादित कराया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक एफ0आर0य० पर दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह सी—सेक्शन कराया जाना सुनिश्चित करें।
35. बिडिंग मॉडल के आधार पर नियुक्त किये गये चिकित्सकों के द्वारा कार्य न किये जाने की दशा में जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
36. निर्देशित किया गया कि एच0एम0आई0एस0 पोर्टल एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर संबंधित सूचनाओं की ससमय फीडिंग सुनिश्चित करायें।
37. संस्थागत प्रसव के उपरान्त शत—प्रतिशत जन्म पंजीकरण सी0आर0एस0 पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है। अनेकों जनपदों में जीवित जन्म के सापेक्ष सी0आर0एस0 पोर्टल पर जन्म पंजीकरण की स्थिति अत्यन्त चिंता जनक है। इस विषय में सभी जनपदों को सख्त निर्देश दिये गये कि वर्ष 2019 में जन्में बच्चों के साथ—साथ पूर्व में जन्में बच्चों का पंजीकरण भी पोर्टल पर शीघ्रातिशीघ्र करवाना सुनिश्चित करें।

Best and Worst Performing Districts in PW Registration As On 12 Oct 19

Lowest 25 Performing Districts in PW Registration				Highest 10 Performing Districts in PW Registration			
SN	Division	District	Current %age Till date	SN	Division	District	Current %age Till date
1	Azamgarh	Ballia	2.78%	1	Kanpur	Farrukhabad	62.04%
2	Azamgarh	Azamgarh	5.38%	2	Meerut	Baghpat	58.18%
3	Kanpur	Kanpur Nagar	9.96%	3	Kanpur	Auraiya	57.59%
4	Azamgarh	Mau	10.11%	4	Gorakhpur	Maharajganj	56.27%
5	Bareilly	Bareilly	11.12%	5	Lucknow	Unnao	52.17%
6	Faizabad	Faizabad	11.60%	6	Agra	Mainpuri	50.38%
7	Alligarh	Alligarh	13.43%	7	Agra	Mathura	49.41%
8	Meerut	Meerut	13.85%	8	Meerut	Bulandshahar	47.54%
9	Agra	Agra	14.44%	9	Meerut	Ghaziabad	43.46%
10	Deviptaran	Shrawasti	15.00%	10	Agra	Firozabad	43.38%
11	Prayagraj	Pratapgarh	17.08%				
12	Deviptaran	Bahraich	17.57%				
13	Bareilly	Budaun	19.43%				
14	Alligarh	Mahamaya Nagar	19.79%				
15	Prayagraj	Fatehpur	20.05%				
16	Varanasi	Varanasi	20.11%				
17	Basti	Siddharthnagar	20.16%				
18	Moradabad	Moradabad	21.79%				
19	Moradabad	Jyotiba Phule Nagar	22.05%				
20	Saharanpur	Saharanpur	22.11%				
21	Kanpur	Etawah	22.20%				
22	Kanpur	Kanpur Dehat	22.35%				
23	Basti	Sant Kabir Nagar	22.78%				
24	Moradabad	Sambhal	23.77%				
25	Bareilly	Shahjahanpur	23.89%				

मानव संसाधन—

38. नियमित चिकित्सकों को अपनी ए0सी0आर0 आनलाइन माध्यम से मानव सम्पदा पोर्टल पर भरे जाने हेतु 30 अप्रैल 2019 को शासनादेश के माध्यम से निर्देशित किया गया है। 70 प्रतिशत चिकित्सकों के द्वारा सेल्फ अपरेजल पूर्ण कर लिया गया है। नवम्बर 2019 से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित किये जाने की योजना/लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्देशित किया गया कि समस्त चिकित्सकों का मानव सम्पदा पोर्टल पर विवरण अद्यतन करवाते हुये ससमय वेतन दिया जाना सुनिश्चित करें।
39. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का जनपद स्तर पर डाटा अद्यतन किया जा रहा है। 71 प्रतिशत कर्मियों के डाटा को जनपद स्तर पर अद्यतन किया जा चुका है, शेष कार्य 31 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। निर्धारित समय—सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
40. निर्देशित किया गया कि लम्बे समय से बगैर किसी सूचना के अनुपरिधित चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये शासन स्तर पर अवगत कराना सुनिश्चित करें।
41. निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण के प्रार्थना—पत्र स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही राज्य स्तर पर प्रेषित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि कर्मियों के अक्टूबर 2019 के मानदेय का भुगतान 25 अक्टूबर तक कर दिया जाये।

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन-

42. अवगत कराया गया कि ₹०८००एल० में 296 औषधियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 224 औषधियों की आर०सी० उपलब्ध है। जनपदों के द्वारा ₹०८००८००५०एस० पोर्टल के माध्यम से प्रेषित इन्डेन्ट/मांग पत्र के आधार पर ₹०८००८००५०एस० सी०एल० द्वारा 242 इकाइयों पर उपलब्धता करायी जा रही है। जनपदीय वेयरहाउस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा नामित फार्माशिस्टों का प्रशिक्षण 27 सितम्बर 2019 को पूर्ण हो गया है। निर्देशित किया गया कि जनपदों द्वारा ₹०८००८००५०एस० पोर्टल के माध्यम से ही इन्डेन्ट/मांग पत्र प्रस्तुत किये जायें।
43. जनपदों द्वारा आवश्यकता से अधिक औषधियों की मांग की जा रही है तथा कई बार इन्डेन्ट किये जा रहे हैं। कुछ सामान्य औषधियों की मांग बिल्कुल भी नहीं की जा रही है तथा कुछ औषधियों की मांग की संख्या बहुत कम है जिससे सप्लाई में समस्या आ रही है। निर्देशित किया गया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रैमासिक आधार पर आवश्यकता का आंकलन करते हुये इन्डेन्ट/मांग पत्र प्रस्तुत किये जायें।
44. निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर मांग-पत्र डालने से पूर्व सक्षम स्तर (मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक) पर इसकी जांच अवश्य कर लें। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया गया कि पोर्टल के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से मांग-पत्र प्रस्तुत न किये जायें।
45. औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रेषित दिशा-निर्देशों के विषय में बिन्दुवार अवगत कराया गया। तथा निर्देशित किया गया कि शासनादेश/दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें।

वित्तीय समीक्षा-

46. ॲडिट आपत्तियों के विषय में अवगत कराया गया कि जनपदों में लाभार्थियों/वेन्डर्स के खाते में भुगतान न करके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से अपने व्यक्तिगत खाते में धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। निर्देशित किया गया कि नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
47. अवगत कराया गया कि जनपदों द्वारा विभन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किराये पर लौंगी कारों के स्थान पर मोटर साइकिल/स्कूटर/ट्रैक्टर के नंबर पर भुगतान कर दिया है, जोकि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। निर्देशित किया गया कि भुगतान से पूर्व वाहनों का स्थलीय अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
48. ॲडिट आपत्तियों में अवगत कराया गया है कि कतिपय जनपदों में आयकर/जीएसटी/ई०पी०एफ० के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि नियमों का पालन करते हुये ही भुगतान करें।

माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा दिये गये निर्देश-

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को एक चेकलिस्ट राज्य स्तर से प्रेषित कर दी जाये, जिससे प्रत्येक कार्यक्रम की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके। जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य कार्यों का आवंटन इस प्रकार से किया जाये जिससे कार्यक्रमों/गतिविधियों का अनुश्रवण किया जा सके।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी सचेत रहें, बुखार के मरीजों की विशेष देख-भाल एवं अनुश्रवण करवाना सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर पर दिमागी बुखार की जांच हेतु एक प्रयोगशाला/लैब स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
3. कार्य पूर्ण ईमानदारी से करें तथा यदि कार्य करने में कोई समस्या उत्पन्न हो तो सक्षम अधिकारी से समस्या के निराकरण हेतु समन्वय स्थापित करें।

4. आम जनभानस को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना हमारा प्रथम उद्देश्य है, इसके लिये हर सम्भव प्रयास किये जाने सुनिश्चित करें।
5. निर्देशित किया गया कि जनपद एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से करते हुये समन्वय के साथ कार्य सम्पन्न करायें।
6. व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, जिसमें प्रारम्भ में समस्या उत्पन्न होती है। प्रबन्धन क्षमता के प्रयोग के द्वारा समस्या को हल किया जा सकता है।
7. अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहते हुये कार्यों को सम्पादित करें। किसी भी प्रकार के वित्तीय अनियमितता/भ्रष्टाचार से दूर रहकर कार्य करें।
8. कार्यक्रमों/गतिविधियों के विषय में अपनी जानकारी में वृद्धि करें तथा कलर्क/बाबू पर निर्भरता को कम करने का प्रयास करें। राज्य स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्साधीक्षकों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये।
9. प्रयास किये जायें कि मरीजों को स्वास्थ्य सुविधायें समय यथा स्थान पर उपलब्ध करायी जायें।
10. जनपद में स्थित हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को नियमानुसार क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित करें।
11. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत लक्षित परिवारों के गोल्डेन कार्ड बनाना एवं उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि दिशा-निर्देशानुसार मरीजों को उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके।
12. स्वास्थ्य इकाइयों का एन०ए०बी०एच० के मानकों के आधार पर एक्रीडेशन करवाने हेतु प्रयास करें तथा कायाकल्प अवार्ड के मानकों के आधार पर इकाइयों को अपग्रेड करें।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।